



भाकृअनुप-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबन्धन संस्थान
बरौडा, रायपुर, छत्तीसगढ़-493 225

ICAR-NATIONAL INSTITUTE OF BIOTIC STRESS MANAGEMENT
BARONDA, RAIPUR, CHHATTISGARH - 493 225
ao.nibsm.cg@nic.in Fax : 0771-2225351, Phone- 0771-2225333




पत्र क्र. 9-23/रा.जै.स्ट्रै.प्र.सं./2018-19
F.No. 9-23/NIBSM/2018-19

दिनांक- 04/01/2019
Date:-04/01/2019

सूचना
NOTICE

इस संस्थान द्वारा पूर्व में जारी की गयी सूचना पत्र क्र. 9-23/ रा.जै.स्ट्रै.प्र.सं./2018 दिनांक 28.12.2018 का अधिक्रमण करते हुए यह जानकारी दी जाती है कि धान (महामाया, स्वर्णा)का विक्रय करने हेतु निलामी मंगलवार दिनांक 15.01.2019 को, दोपहर 2.00 बजे की जायेगी ।

उपयुक्त निलामी से संबंधित जानकारी एवं शर्तों का विस्तृत विवरण इस संस्थान की वेबसाईट w.w.w.nibsm.res.in पर देखा जा सकता है ।


वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी



भाकृअनुप-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान

बरौंडा, रायपुर, छत्तीसगढ़-493 225

ICAR-NATIONAL INSTITUTE OF BIOTIC STRESS MANAGEMENT

BARONDA, RAIPUR, CHHATTISGARH - 493 225

ao.nibsm.cg@nic.in Fax : 0771-2225351, Phone- 0771-2225333



पत्र क्र. 9-23/रा.जै.स्ट्रै.प्र.सं./2018-19

दिनांक- 04/01/2019

निलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान बरौंडा, रायपुर के फार्म में उपलब्ध धान (महामाया, स्वर्णा)की निलामी बोली के आधार पर दिनांक 15.01.2019 को दोपहर 2.00 बजे की जाएगी। इच्छुक क्रेताओं / व्यक्तियों से अनुरोध है कि उपरोक्त समय पर राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान बरौंडा, रायपुर पर उपस्थित होकर निलामी में भाग लें।

निलामी की शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. सभी इच्छुक बोली लगाने वाले व्यक्तियों को बोली लगाने से पूर्व वापिस करने योग्य राशि रु. 2000(दो हजार रुपये) नगद निलामी कमेटी को जमा करनी होगी।
2. बोली मंजूर होते ही संबन्धित क्रेता को आधी धनराशि तुरंत जमा करनी होगी तथा बाकी धनराशि धान ले जाने के पहले जमा करनी होगी।
3. अनुबंध 31 जनवरी 2019 तक मान्य होगा।
4. ठेकेदार खुद के लिए एवं नामित किये गये 5 व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान से आई-डी कार्ड प्राप्त करेगा।
5. ठेकेदार और उसके कार्यकर्ताओं को केवल विशिष्ट पहचान किए गए क्षेत्रों में जाने की अनुमति होगी और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में जाने की अनुमति सुबह 8:30 से पहले और शाम 17:00 के बाद नहीं होगी।
6. दो व्यक्ति ठेकेदार द्वारा नामित किए जाएंगे और सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसकी मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद ही वे सुरक्षा के उद्देश्य से शाम 17:00 के बाद और सुबह 8:30 के पहले विशिष्ट क्षेत्र में जा सकते हैं।
7. संस्थान किसी प्रकार संपत्ति की हानि होने पर उसकी भरपाई क्रेता को भरनी होगी।
8. इस निलामी एवं धान ले जाने तक संबन्धित किसी प्रकार के विवाद में अंतिम निर्णय निदेशक, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान बरौंडा, रायपुर का ही मान्य होगा।
9. किसी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान बरौंडा, रायपुर के पास आरक्षित है।

(वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)

राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान बरौंडा, रायपुर

प्रतिलिपि:

1. फार्म प्रोजेक्ट डिस्पोजल कमेटी अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ दिनांक 15.01.2019 को दोपहर 02.30 बजे निलामी के समय फार्म ऑफिस में उपस्थित रहे।
2. इच्छुक क्रेताओं / व्यक्तियों को सूचनार्थ।
3. प्रक्षेत्र/कृषि विज्ञान केंद्र/मेन ऑफिस नोटिस बोर्ड।
4. निदेशक के वैयक्तिक सहायक, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान बरौंडा, रायपुर के सूचनार्थ
5. भंडार विभाग, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान बरौंडा, रायपुर
6. प्रभारी एरिस सेल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।